मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम
जिला–सिवनी

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित जानकारी –

1.कार्यालय का नाम :– म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम

परिचयः–

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इंडियन कंपनी एक्ट 1965 की धारा 25 (लाभ के लिए नही)के अंतर्गत 29 सितम्बर 1994 में की गयी । निगम द्वारा प्रदेश के आदिवासी जनों के कल्याणार्थ विभिन्न स्वरोजगार का क्रियान्वयन 1 अप्रैल 1995 से प्रांरभ किया गया है ।

उद्‌देश्यः–

म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम का उद्‌देश्य प्रदेश के आदिवासियों का :–

1 आर्थिक,सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास करना है ।

2 शोषण समाप्त कर उन्हें विकसित कर गरीबी रेखा से उपर उठाना है ।

3 उपरोक्त उद्‌देश्यों की प्राप्ति हेतु सुविधा जनक ऋण उपलब्ध कराकर उसे ब्याज सहित वसूल करना ।

2.राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली (एन.एस.टी.एफ.डी.सी.)के माध्यम से निगम की निम्नांकित योजनाएं संचालित की जा रही है :–'

1 स्वरोजगार योजना

2 महिला सशक्तिकरण योजना

3 नाबार्ड योजना

4 विकलांग पुर्नवास योजना

अ.::–स्वरोजगार योजना::–

(1) कृषि क्षेत्र से संबंधित योजनाएॅ :–

(1).ट्रेक्टर ट्राली योजना (2).बकरी पालन योजना (3) .मुर्गी पालन योजना (4).सुअर पालन योजना (5).डेयरी फार्मिग योजना (6) .कृषि उत्पादकता बढ़ाओं (7) .लघु वनोपज क्रय –विक्रय योजना (8).अन्य संबंधित योजनॉए

(2) यातायात क्षेत्र से संबंधित योजनाएॅ :–'

(1) मिनी ट्रक (2) जीप टेक्सी योजनाना (3) डम्पर योजना (4) मिनी बस योजना (5) आटो रिक्शा योजना (6) ट्रक योजना (7) बस योजना (8) साईकिल रिक्शा योजना (9) ट्रेवल एजेंसी (10) अन्य संबंधित योजनॉए ।

(3) सेवा क्षेत्र से संबंधित योजनाऍं :–

(1) फोटो कॉपियर योजना (2) जनरल स्टोर योजना (3) मिनी राईस मिल योजना (4) आटा चक्की योजना (5) एस.टी.डी / पी.सी.ओ.योजना (6) टेन्ट हाउस योजना (7) इन्टरनेट ढाबा योजना (8) मेडिकल स्टोर योजना (9) पान दुकान योजना (10) अन्य संबंधित योजनॉए ।

(4)उद्योग क्षेत्र से संबंधित योजनाऍं :–

(1) ईट निर्माण योजना (2) झाडू निर्माण योजना (3) पिटिंग प्रेस योजना (4) ढाबा योजना (5) कालीन बुनाई योजना (6) बॉस टोकरी निर्माण योजना (7) अन्य संबंधित योजनॉए ।

पात्रता :–

1. **यो**जनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्रता उन आदिवासी जनो को होगी जो मध्यप्रदेश के निवासी हो और भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिये घोषित आदिवासी वर्ग के सदस्य हो ।
2. **आवेदक** की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा सीमा के दौगुने अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में रूपये 39,500 / – तथा शहरी क्षेत्रों में 54,500 / – रूपये से अधिक नही होनी चाहिए ।
3. आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो ।
4. आवेदक द्वारा पूर्व में कहीं से ऋण नही लिया गया हो ।
5. आवेदक को निगम की किसी भी अन्य योजना का लाभ प्राप्त न हुआ हो ।

प्रक्रिया :–

1. एन.एस.टी.एफ.डी.सी योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए इच्छुक पात्र व्यक्ति कार्यालय सहायक आयुक्त ,आदिवासी विकास सिवनी के म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम कक्ष में सम्पर्क करना चाहियें
2. विभिन्न योजनाओं के तहत निर्धारित मापदण्डों का पालन करते हुए आवेदको का चयन पारदर्शी प्रक्रिया से जिले में जिला योजना समिति की रोजगार उप समिति द्वारा लाटरी पद्वति से किया जाता है । आदिवासी महिला आवेदकों एवं विशेष पिछडी जनजातियों को चयन में प्राथमिकता दी जाती है ।

ऋण की सीमा एवं प्रकार :–

एन.एस.टी.एफ.डी.सी.से प्राप्त होने वाले ऋण की अधिकतम सीमा रूपये 10.00 लाख प्रति इकाई है । ऋण विवरण निम्नानुसार है :–

(अ)	एन.एस.टी.एफ.डी.सी.का हिस्सा	:–	योजना लागत का अधिकतम 90 प्रतिशत
(ब)	म.प्र.आ.वि.वि.नि.का हिस्सा	:–	योजना लागत का 5 से 15 प्रतिशत
(स)	आदिवासी हितग्राही का हिस्साः–		

1	एक लाख तक की योजना लागत पर	:—	कुछ नही
2	एक लाख से 2.50 लाख तक की योजना लागत पर	:—	2 प्रतिशत
3	2.50 लाख से 5.00 लाख तक की योजना लागत पर	:—	3 प्रतिशत
4	5.00 लाख से उपर की योजना लागत पर	:—	5 प्रतिशत

ऋण अदायगी समय :— 5 से 10 वर्ष

एन.एस.टी.एफ.डी.सी की योजनाओं के अंतर्गत दिये जाने वाले ऋण पर वसूल की जाने वाली ब्याज दरें :—

1	5 लाख रूपये तक दी जाने वाली ऋण राशि पर —	6 प्रतिशत वार्षिक
2	5 लाख रूपये से अधिक दी जाने वाली ऋण राशि पर —	8 प्रतिशत वार्षिक

3.महिला सशक्तिकरण योजना :—

जनजातीय महिलाओं का उत्थान म.प्र.आ.वि.वि.नि.का पहला केन्द्र बिन्दु है । यह महसूस किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में जनजातीय महिलॉए सार्थक सहयोग दे सकती हैं । इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये म.प्र.आ.वि.वि.नि.ने केवल अनुसूचित जनजातियों की महिला लाभार्थियों के आर्थिक विकास हेतु 'आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना 'नामक रियायती योजना शुरू की है इस योजना हेतु मुख्य मार्गनिर्देश निम्नलिखित है ।

(1) पात्रता एवं प्रक्रिया :—

स्वरोजगार योजना के अनुसार है

(2) एकक लागत :—

म.प्र.आ.वि.वि.नि.प्रति एकक/लाभकारी केन्द्र हेतु 50,000 रूपयं तक की लागत वाली परियोजना/योजना के लिए मियादी ऋण प्रदान करता है ।

(3) प्रवर्तत का अंशदान :—

आवेदक से कोई अंशदान राशि नही ली जाती है ।

(4) ब्याज दर :—

इस योजना के लिए महिला लाभार्थियों से 4 प्रतिशत वार्षिक की दर से अधिकतम ब्याज लिया जाता है ।

(5) पुनर्भुगतान अवधि :—

ऋण का पुनर्भुगतान उपयुक्त विलम्बन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड)सहित 10 वर्षो की अधिकतम अवधि के भीतर ,जैसी भी स्थिति हो, तिमाही /अर्ध–वार्षिक किस्तो में किया जाना है । प्रत्येक योजना /परियोजना के लिए पुनर्भुगतान अवधि का उल्लेख आशय (मंजूरी) पत्र में किया जाता है

(6) निर्देशात्मक योजनाओ / परियोजनाओं / प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची योजनाओं /परियोजना के नाम :–

अगरबत्ती बनाना , बागवानी, बेकरी, चमडे की वस्तुएं बनाने की इकाई, बांस फर्नीचर बनाने की ईकाई , लघु वन उत्पाद , ब्यूटी पार्लर / हेल्थ सेंटर, गहने पॉलिस करने की इकाई , बुक वाईडिग / बुक शॉप , फोटो स्टुडियों /वीडियोग्राफी , मोमबत्ती बनाने की इकाई , अंचार तैयार करना, कपडा व्यापार इकाई, सुअर पालन, औषधीय पौधो की खेती , मुर्गी पालन, डेयरी, पम्पसेट / लघु सिंचाई, ढाबा एवं रेस्टोरेट, तैयार वस्त्रों की दुकान, डिपार्टमेंटल स्टोर, खरगोश पालन, बतख पालन, रेशम उत्पाद विकास, इलेक्ट्रिकानिक्स सर्विस सेंटर, मासाले की खेती, कढाई एवं बुनई, मासाला पीसने की इकाई ,अभ्यास पुस्तिकाएॅ बनाने की इकाई , स्टेशनरी की दुकान, फलो /सब्जियों की दुकान,दस्तकारी इकाई, जेराक्स / टाईपिंग सेंटर, मधुमक्खी पालन, मछली पालन ।

4.नाबार्ड योजना :–

निगम द्वारा नाबार्ड की पुनर्वित योजना के सहयोग से संचालित स्वरोजगार योजना (नाबार्ड) के अतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासी वग के हितग्राहियो के स्वरोजगार एवं उन्हें अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराने के लिए बैंक माध्यम से ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाती है, जिससे वे गरीबी रेखा से उपर आ सकें । योजना में निगम द्वारा अनुदान दिया जाता है ।

इस योजना में आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में रूपये 21206 और ग्रामीण क्षेत्र में 15976 से अधिक नही होनी चाहिए ।

इस योजना में ऋण प्रकरण निगम की शाखाओं द्वारा स्वयं और जनपद पंचायतों के सहयोंग से तैयार कर बैकों को प्रेषित किये जाते है । बैंक द्वारा ऋण की स्वीकृति देने के पश्चात, अनुदान की मांग की जाती है, जो निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है । किन्तु वित्तीय वर्ष 2007–2008 से योजनांतर्गत मुख्यालय निगम से वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निगम शाखा सिवनी को प्राप्त नही हुआ है

5.विकलांग पुर्नवास योजनाः–

राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम एन.एच.एफ.डी.सी.फरीदाबाद के माध्यम से निगम द्वारा संचालित की जा रही है :–

उद्देश्यः–

1. विकलांग आदिवासियों के लाभ के लिये स्वरोजगार एवं अन्य उद्यमों की सहायता से गतिविधियों को आगे बढ़ना ।
2. विकलांग आदिवासियों को उनकी उत्पादन इकाईयों का उचित एवं सक्षम प्रबंधन के लिये कौशल के विकास में सहायता करना ।

3. स्वरोजगार विकलांग/व्यक्तियों समूह अथवा विकालांग व्यक्तियों के पंजीकृत कारखानों /कंपनियों /सहाहकारों को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विक्रय में कच्चा माल उपलब्ध करने में सहायता ।

पत्रताः—

कोई भी मध्यप्रदेश के आदिवासी जो चालीस प्रतिशत से अधिक विकलांग हो जिसकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच हो तथा शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम तथा ग्रामीण क्षेत्र में 80 हजार रूपये प्रति वर्ष की सीमा तक हो । साथ ही संबंधित ऋणी नही होना चाहिए ।

योजना :—

सेवा से संबंधित योजनाओं के अन्तर्गत फोटो कॉपियर, जनरल स्टोर्स, मिनी राईस मिल आटा चक्की , एस,टी,डी, पी.सी.ओ. टेंट हाउस आदि के लिये सेवा क्षेत्र में 1.00 लाख रूपये एवं व्यवसायिक क्षेत्र में 3.00 लाख रूपये तक का प्रावधान है जिसमें उसका संचालन स्वयं विकलांग व्यक्ति को करना होगा । उसे अपने इस कार्य में 15 प्रतिशत रोजगार देना होगा ।

कृषि क्षेत्र से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत ट्रेक्टर ट्राली योजना , बकरी पालन योजना , कृषि उत्पादकता बढ़ाओं योजना, मुर्गी पालन योजना , सुअर पालन योजना तथा लघु वनोपज विक्रय योजना ।

यातायात से संबंधित योजनाओं के अंतर्गत मिनी ट्रक, जीप टैक्सी, डम्फर योजना मिनी बस तथा आटो रिक्ष, योजना आदि ।

उद्योग से संबंधित योजनाओं में प्रिंटिंग प्रेस, झाडू निर्माण, ढाबा योजना तथा कालीन बुनाई योजना आदि ।

एन.एच.एफ.डी.सी.की योजनाओ के अंतर्गत ब्याज दर :—

राष्ट्रीय निगम द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि	हितग्राहियों से वसूल की जाने वाली ब्याज दर
50 हजार रू. तक दी जाने वाली ऋण राशि	**5 प्रशितत**
50 हजार रू.से 5.00 लाख रू.तक दी जाने वाली ऋण राशि	**6 प्रतिशत**

1. महिला हितग्राहियों को ब्याज दर में 1 प्रतिषत की छूट दी गई है ।
2. ऋण की अदायगी हितग्राहियों से 7 से 10 वर्ष के अंदर की जाती है ।

योजनाओं की लागत पर राष्ट्रीय निगम का अशंदान :–

राष्ट्रीय निगम द्वारा दी जाने वाली ऋण राशि	हितग्राही का अंशदान प्रतिशत	राष्ट्रीय निगम का अशंदान	निगम का अंशदान
(1).50 हजार तक दी जाने वाली ऋण राषि	–	**100 प्रतिशत**	–
(2) 50 हजार से एक लाख रू.तक दी जाने वाली ऋण राषि	–	**95 प्रतिशत**	**5 प्रतिशत**
(3) एक लाख रू. से 5.00 लाख रू. तक दी जाने वाली राषि	**5 प्रतिशत**	**90 प्रतिशत**	**5 प्रतिशत**

6.निगम के शाखा प्रबंधक के दायित्व :–

1. योजना तैयार करना ।
2. स्वीकृत योजनाओं का क्रियान्वयन कराना
3. प्रशासन चलाना ।
4. जनसम्पर्क का काम करना
5. बैकिंग का कार्य करना
6. वसूली अधिकारी का कार्य करना ।
7. विपणन अधिकारी का कार्य करना ।

7. कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वाहन हेतु नियम अनुदेश :–

कार्यालय में पदस्थ लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को भी विभिन्न शाखाओं के कार्य सौपे गये है उनके द्वारा संबंधित शाखाओं कें अभिलेखों का रखरखाव किया जाता है ।

निगम के विभिन्न शाखाएँ एवं कार्य :–

क्रं.	शाखा	कार्य
1	प्रशासनिक शाखा	निगम के कार्य व्यापर पर सामान्य नियंत्रण एवं प्रशासन
2	योजना शाखा	विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के प्रस्ताव तैयार करना प्रस्तुतीकरण ऋण वसूली आदि
3	लेखा शाखा	निगम के सभी लेखा/रोकड संबंधी कार्यो का सम्पादन
4	कार्यालयीन शाखा	स्टेषनरी स्टोर,आवक,जावक नस्तियों का संधारण टंकण एवं अन्य सभी कार्य सम्पादित किये जावेगे

8. अधिकारियों /कर्मचारियों की निर्देशिका

अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय निगम भोपाल द्वारा निर्देषानुसार दिशा निर्देष प्रसारित किये जाते है उनके अनुसार कार्य किये जाते है ।

9. कार्यालयीन अभिलेखों पर नियत्रणः–

कार्यालय में विभिन्न शाखाओं में लिपिकीय कर्मचारियों द्वारा अभिलेख संधारित किये जाते है । शाखा में पंजीयन एवं नस्तिया एवं गार्ड फाईल संधारित की जाती है । ऋण वसूली कर प्रत्येक त्रिमासिक राषि जानकारी सहित मुख्याालय निगम भोपाल भेजी जाती है ।

10.गुणवत्ता :–

हितग्राही को जिस व्यवसाय हेतु ऋण दिया जावेगा उसी व्यवसाय में लगाना अनिवार्य है । ऐसा नही करने पर सम्पूर्ण ऋण राशि मय ब्याज के निगम मुख्यालय के नियमों एवं हितग्राही के अनुबंध शर्तो के अंतर्गत एवं भू राजस्व की भांति वसूलनीय होगी ।

11.कार्यालय में उपलब्ध अधिनियम नियम (रूल रेगुलेशन):–

1 म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम की नियमावली 1995

12.कार्यालय में संधारित किये जाने वाले अभिलेखें की सूची :–

क्रं.	शाखा का नाम	संधारित अभिलेख
1	लेखा शाखा	कैशबुक लेजर,चैक पंजी,अनुदान पंजी, ऋण लेजर,मियादी जमा पंजी, आवंटन पंजी
2	योजना शाखा	ऋण प्रकरण आवक पंजी, ऋण प्रकरण , प्रेषण पंजी,प्रगति पंजी संम्पर्क पंजी
3	कार्यालयीन व्यवस्था	स्टेशनरी पंजी, डेड स्टाक पंजी,रसीद बुक,आकस्मिक अवकाश पंजी,उपस्थिति पंजी, नस्ती पंजीयन, समय–सीमा ,जनप्रतिनिधियों की पंजी, आवक,जावक पंजी ।

13.हितग्राही चयन समिति :–

क्रं.	नाम	पद	पता
1	श्री कमल मर्सकोले	अध्यक्ष (अशासकीय)	बारापत्थर जिला सिवनी
2	श्रीमती शशि ठाकुर	अध्यक्ष (अशासकीय)	बारापत्थर जिला सिवनी
3	कलेक्टर महोदय	सदस्य (शासकीय)	कलेक्टर सिवनी
4	आसिस्टेट जोनल मैनेजर एन.एफ.डी.सी.	सदस्य (शासकीय)	35 रॉजीव गांधी भवन श्यामलाहिल्स भोपाल म.प्र.
5	शाखा प्रबंधक म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम	सदस्य /सचिव (शासकीय)	कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी

14.कार्यालय में उपलब्ध जानकारियों की सूची :–

1 वैधानिक रिकार्ड बुक (हार्ड कापी में)

2 कार्यालयीन रिकार्ड बुक /नस्ती (हार्ड कापी में)

15.आम नागरिको को सूचना उपलब्ध कराने हेतु सुविधाएँ :-

1 योजनाओं के फोल्डर

2 जगरूकता /सूचना शिविर

16.अपीलीय प्राधिकारी /लोक सूचना अधिकारी /सहायक लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी :-

क्र	नाम	पद	सूचना के अधिकारी के अतर्गत धारित पद	कार्यस्थल का पता	दूरभाष का विवरण			
					कोड नंबर	कार्यालय दूरभाष नबंर	निवास दूरभाष नंबर	मोबाईल नंबर
1	श्री अजीत कुमार	कलेक्टर	अपीलीय प्राधिकारी	कार्यालय कलेक्टर सिवनी	07692	220444		
2	श्री आर.के.श्रोती	सहायक आयुक्त	लोक सूचना अधिकारी	कार्यालय सहायक आयुक्त आ.वि.सिवनी	07692	220367		
3	श्री आर.के. सतनामी	क्षेत्र संयोजक	सहायक लोक सूचना अधिकारी	कार्यालय सहायक आयुक्त आ.वि.सिवनी	07692	220367		

17.अन्य विषय :-

सम्पर्क :-

योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के इच्छुक पात्र व्यक्ति को कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास सिवनी के म.प्र.आदिवासी वित्त एवं विकास निगम कक्ष में सम्पर्क करना चायिये ।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास सिवनी
प्रभारी म.प्र.आदि. वित्त वि. नि.सिवनी